भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3226

21 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"वाहन विनिर्माताओं द्वारा नियमों का दुरुपयोग"

3226. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री अरुण साव:
श्री एस.सी. उदासी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय इलेक्ट्रिक बाइक/वाहन विनिर्माता कम शक्ति वाले वाहनों के लिए बनाये गए नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं और बिना किसी प्रकार का अनुमोदन लिए 40-60 किमी प्रति घंटे की उच्च गति वाले उच्च बैटरी क्षमता वाले मॉडलों की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग) : भारी उद्योग मंत्रालय को कम शक्ति वाले वाहनों संबंधी नियमावली के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और यह उच्च क्षमता वाली बैटरीयुक्त मॉडलों की आपूर्ति कर रहा है जो किसी भी प्रकार-अनुमोदन के बिना ही 40-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलते हैं। फेम इंडिया स्कीम,चरण-।। के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार, केवल "मोटर वाहन" के रुप में पंजीकृत वाहन ही आर्थिक प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

***